न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 83/2015

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,अजमेर

.........*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री बनवारी लाल कुमावत पुत्र श्री कालूराम मैसर्स श्री गणेश जनरल स्टोर पोस्ट ऑफिस के सामने पीसांगन।
2. मैसर्स श्री गणेश जनरल स्टोर पोस्ट ऑफिस के सामने पीसांगन।
3. चन्दा माहेश्वरी (डायरेक्टर) मैसर्स बाबा रूपनाथ जी फूड एण्ड स्पाईस प्रा. लिमिटेड रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया रामचन्द्रपुरा जयपुर।
4. सुनिता लखोटिया (डायरेक्टर) मैसर्स बाबा रूपनाथ जी फूड एण्ड स्पाईस प्रा. लिमिटेड रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया रामचन्द्रपुरा जयपुर।
5. मीरा देवी भतर (डायरेक्टर) मैसर्स बाबा रूपनाथ जी फूड एण्ड स्पाईस प्रा. लिमिटेड रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया रामचन्द्रपुरा जयपुर।
6. अनिल कुमार भतर (डायरेक्टर) मैसर्स बाबा रूपनाथ जी फूड एण्ड स्पाईस प्रा. लिमिटेड रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया रामचन्द्रपुरा जयपुर।

........*अप्रार्थीगण*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 52 के तहत

उपस्थित : 1. श्री संतोष गौतम, वकील अप्रार्थीगण की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक–05.02.2016

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण ने मिसब्राण्ड धनिया पाउडर (पैक्ड) (ब्राण्ड नाम–BRG) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 मे निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्याय निर्णयक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 26.02.2015 को दोपहर 03:30 पी0एम0 बजे खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स श्री गणेश जनरल स्टोर पोस्ट ऑफिस के सामने पीसांगन पर पहूँचे श्री बनवारी लाल कुमावत पुत्र श्री कालूराम मौके पर उपस्थित मिले खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान विक्रय हेतु धनिया पाउडर के 500–500 ग्राम के 12 पैकेट रखे हुए थे। धनिया पाउडर (पैक्ड) में मिलावट का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु धनिया पाउडर (पैक्ड) के 500–500 ग्राम की चार पैकेट वास्ते नमूना जॉच हेतु 320/– रूपयें श्री बनवारी लाल कुमावत को नगद देकर गवाह श्री राजेश त्रिपाठी के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री बनवारी लाल कुमावत को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा धनिया पाउडर (पैक्ड) को प्रत्येक पैकेट में 500–500 ग्राम धनिया पाउडर (पैक्ड) के प्रत्येक पैकेट को भूरे कागज में लपेट कर कागज को दोने ओर गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक ए–935 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी सें सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक अजो/एफएसएसए/2015/3390 दिनांक 25.03.2015 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/128/एक्ट/2015/125 दिनांक 11.03.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया धनिया पाउडर (पैक्ड) मिसब्राण्ड होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 27.08.2015 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 01.09.2015 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री बनवारी लाल कुमावतको विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 16.10.15 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 30.10.2015 को अप्रार्थीगण जरिये वकील उपस्थित हुये उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद मे वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब नाटिस पेश कर कथन किया कि वास्ते जांच लिया गया धनिया पाउडर खाद्य विश्लेषक द्वारा जांच पश्चात खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के मानकों के अन्तर्गत समस्त पेरामीटर्स में शुद्व पाया गया है, केवल धनिया पाउडर की थैली पर बेस्ट बिफोर ब्वपजंस स्मजजमते में नहीं लिखा होने के आधार पर मिस ब्रान्ड किया गया है। वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बनाये गये Regulation Packaging and Labellining Regulations 2011 के Regulation 2.2.2.10(1) की गलत व्याख्या कर धनिया पाउडर को मिस ब्राण्ड धोषित किया गया है। उन्होंने आगे कथन किया कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अन्तर्गत भी उपरोक्त वर्णित Regulation के अनुक्रम ही बेस्ट बिफोर लिखने का प्रावधान नियम 32(2) के अन्तर्गत था तथा उक्त प्रावधान के लिए बेस्ट बिफोर यदि Small Letters में लिखा गया हो तो भी नियम की पूर्ण पालना होना माना गया है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान 2000(2) FAC 122, 2011(1) FAS पेज 265, 2012(1) FAC जेज 479, में पटना उच्च न्यायालय 2012(2)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

FAC पेज 8, 2012(2) पेज 74, 2013(1) FAC पेज 482 व 2013(1) FAC पेज 434 पर झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतो की ओर आकर्षित करते हुए अन्त में कथन किया कि Capital Letters लिखने का प्रावधान अंग्रेजी को छोडकर अन्य भाषाओं में नहीं है। अतः न्यायहित में परिवाद निरस्त किया जावें।

हमने वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा मिसब्राण्ड धनिया पाउडर का विक्रय किया गया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(II) एवं Regulation Packaging and Labellining Regulations 2011 के Regulation 2.2.2.10 का स्पष्ट उल्लंघन है तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 एवं धारा 52 में जुर्माना निर्धारित है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है।

चूकिं अप्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगें। इस आशय का शपथ–पत्र भी उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। उपरोक्त प्रावधान को मद्वेनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त श्री बनवारी लाल कुमावतव अन्य को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण अभियुक्त श्री बनवारी लाल कुमावतव अन्य को रू. 2500/– (अक्षरे रूपये दो हजार पाच सौ मात्र) शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 05.02.2016 के एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 05.02.2016 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

(किशोर कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2016/540–43 दिनांक : 5.2.16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

2– अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अजमेर।

3– श्री बनवारी लाल कुमावत पुत्र श्री कालूराम मैसर्स श्री गणेश जनरल स्टोर पोस्ट ऑफिस के सामने पीसांगन।

4– चन्दा माहेश्वरी (डायरेक्टर) मैसर्स बाबा रूपनाथ जी फूड एण्ड स्पाईस प्रा. लिमिटेड रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया रामचन्द्रपुरा जयपुर।

5– मैसर्स मदन मोहन ट्रेडिंग कम्पनी श्री मुनी महाराज आश्रम के पास मेडता सिटी जिला नागौर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

Scanned by CamScanner